बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना–14.

विनय कुमार
भा0पु0से0
पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529
मोबाईल नं0 : 9471006800
ई–मेल : biharpolice_nigam@yahoo.co.in

संचिका सं0–स्था0 / अपील–प्राधि0 / 23 / 2024 / पु0नि0 दिनांक–.....2024

आदेश सं0 –217/ 2024

श्री आशिष कुमार सिन्हा, प्रो0–मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन के द्वारा मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का आदेश, ज्ञापांक–एच0क्यू0 4046 दिनांक–02.11.2023, जिससे उनके निबंधन सं0–तृतीय 37 / 2016–17 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (जो वस्तुतः निबंधन सं0–प्रथम 17 / 2020–21, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम है), को आदेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्षों के लिये निलंबित किया गया है तथा मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का कार्यालय आदेश–130 / 2024, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 1360 दिनांक–24.04.2024, जिससे मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन को 05 वर्ष के लिये कालीकृत किया गया है, को निरस्त करने हेतु अपील दायर किया गया है।

2. अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि वे एक सिविल ठेकेदार हैं तथा मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन के नाम के तहत अपना व्यवसाय कर रहे हैं। वे इस निगम और राज्य सरकार के अन्य संगठनों में विधिवत निबंधित हैं। उनके द्वारा कई निर्माण कार्य पूरी संतुष्टि के साथ निष्पादित किया गया है। एकरारनामा सं0–20 F2/18- 19 के तहत नालंदा जिलान्तर्गत नक्सल थाना कराय परसुराय के निर्माण में 98,30,775 / –रू0 का कार्य उनके द्वारा निष्पादित किया गया था। उपर्युक्त योजना के कार्य के दौरान उनके द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के राजगीर प्रमण्डल से इस योजना से संबंधित Performance Certificate जारी करने का अनुरोध किया गया, जो राजगीर प्रमण्डल के पत्र सं0–575 दिनांक–30.07.2019 के द्वारा उपर्युक्त योजना में कराये गये कार्य की राशि 74,44,461 / –रू0 दर्शाते हुये, निर्गत किया गया।

उपर्युक्त कार्य दिनांक–15.03.2020 तक पूर्ण रूप से निष्पादित कर दिया गया था, जो कि अपीलकर्ता के अनुसार कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, राजगीर प्रमण्डल द्वारा निर्गत पत्र सं0–133 दिनांक–04.02.2020 से भी स्पष्ट है, इसलिये उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक–24.02.2023 के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय से उपर्युक्त एकरारनामा के तहत नालंदा जिला के कराया परसुराय में नक्सल थाना के निर्माण में कार्य पूर्णता सह भुगतान पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया, जो एकरारनामा सं0–20 F2/18- 19 के तहत उन्हें संबंधित कार्यालय से विधिवत WhatsApp पर भेजा गया। दुर्भाग्यवश उनके द्वारा उक्त पत्र देख बिना सीधे अपने कम्प्यूटर ऑपरेटर को भेज दिया गया, जिसने इसे जल्दबाजी में अपलोड भी कर दिया गया, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की अंतिम तिथि थी।

बाद में दस्तावेजों का assessment करते समय उन्हें एहसास हुआ कि राजगीर प्रमण्डल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उनसे संबंधित नहीं है एवं इसलिये उनके द्वारा तुरंत मुख्य अभियंता को दिनांक–27.04.2023 को पत्र भेजकर अनुरोध किया कि उनका Bid नहीं खोला जाय। कार्यालय द्वारा उनके अनुरोध को स्वीकार भी कर लिया गया तथा दिनांक–23.05.2023 को उनके अनुरोध पर ई–मेल के माध्यम से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

अपीलकर्ता के द्वारा आगे कहा गया है कि उनके द्वारा निगम के राजगीर कार्यालय से व्यथित होकर अपनी शिकायत कार्यालय में रखा गया, तब संबंधित कार्यालय के द्वारा पत्र सं0–479 दिनांक–26.05.2023 से भुगतान की राशि कुल रू0 98,07,945/–रू0 दिखाते हुये, सही प्रमाण पत्र जारी किया गया, परन्तु चूंकि समय बीत चुका था, इसलिये वे त्रुटि सुधारने की स्थिति में नहीं थे।

अपीलकर्ता के अनुसार निगम को धोखा देने का उनका कोई इरादा नहीं था, वास्तव में निगम के राजगीर कार्यालय द्वारा गलत प्रमाण पत्र जारी करने के कारण पूरी गलती हुई है, जिसके कारण वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो गये और अनावश्यक रूप से उन्हें वर्तमान आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ा। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि निविदा सं0–20/2022-23 की Bid राशि 187.83 लाख थी और निविदा के मापदंडों के अनुसार, जिस व्यक्ति ने Bid राशि का 50% यानि 93.92 लाख तक का कार्य निष्पादित किया है, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पात्र हैं। उनके द्वारा पहले ही 98.08 लाख रू0 का कार्य निष्पादित कर लिया गया था(पत्र सं0–469 दिनांक–26.05.2023 के माध्यम से) इसलिये वे उपर्युक्त निविदा प्राप्त करने के लिये विधिवत हकदार एवं पात्र थे। उन्हें किसी भी तरह का प्रमाण पत्र डालने या जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, इस संबंध में भी, आरोप पूरी तरह से अवांछित एवं निन्दा किये जाने योग्य है।

अपीलकर्ता द्वारा आगे कहा गया है कि वे निगम के निबंधित ठेकेदार हैं एवं पिछले 10 वर्षों में बिना किसी शिकायत के उनके द्वारा 08 से अधिक कार्य पूरी संतुष्टि के साथ निष्पादित किये गये हैं। उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि उन्हें संबंधित कोई काम नहीं दिया गया है। उनसे गलती सिर्फ इतनी हुई है कि उनके द्वारा दस्तावेजों को देखे बिना उसे सीधे अपने कम्प्यूटर ऑपरेटर को भेज दिया गया, जिसने उसे अनजाने में अपलोड भी कर दिया। इससे न तो उनके द्वारा कोई राशि अर्जित की गयी और न ही संगठन को कोई हानि हुई है। यह पूरी तरह से एक मानवीय भूल है, जिसमें उनका अपराध करने को कोई इरादा नहीं है।

उपर्युक्त के लिये निगम द्वारा बिना किसी जाँच के एवं किसी कारण बताये या उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना सीधे FIR दर्ज कर दिया गया। उसके बाद निगम के पत्र सं0–2277 दिनांक–01.07.2023 के द्वारा उनसे कारण पृच्छा की गयी। यह पत्र उन्हें दिनांक–05.07.2023 को प्राप्त हुआ एवं इसका जवाब उनके द्वारा दिनांक–10.07.2023 को ई–मेल एवं पंजीकृत डाक से मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को भेज दिया गया। उसके बाद मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 2677 दिनांक–01.08.2023 से उन्हें यह सूचित करते हुये कि ई–मेल दिनांक–10.07.2023 में उनका हस्ताक्षर अंकित नहीं है, उन्हें दूसरा कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब उनके द्वारा विधिवत अपने पत्र, दिनांक–05.08.2023 से दिया गया।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर विचार नहीं करते हुये, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश, ज्ञापांक–एच0क्यू0 4046 दिनांक–02.11.2023 से उनके निबंधन संख्या को 02 वर्ष के लिये निलंबित कर दिया गया। इस आदेश के बाद पुनः मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश–130/2024 दिनांक–24.04.2024 से उन्हें 05 वर्ष के लिये काली सूची में डाल दिया गया। अपीलकर्ता के द्वारा अपने परिवार एवं व्यवसाय से जुड़े कर्मियों के भरण पोषण का उल्लेख करते हुये, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का उपर्युक्त दोनों आदेश रद्द करने हेतु यह अपील दायर किया गया है।

3. दिनांक–12.06.2024 को सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री आशिष कुमार सिन्हा एवं उनकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा के द्वारा बताया गया कि

विषयांकित योजना में कुल–98,30,775/–रू0 के कराये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु उनके द्वारा दिनांक–24.02.2023 को पत्र के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, राजगीर प्रमण्डल से अनुरोध किया गया, जो उन्हें कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमण्डल के पत्र सं0–575 दिनांक–30.07.2019 से, कराये गये कार्य की कुल राशि 74,84,461/–रू0 दर्शाते हुये, निर्गत किया गया।

अपीलार्थी के द्वारा आगे बताया गया कि कार्यपालक अभियंता का उपर्युक्त पत्र उन्हें WhatsApp से प्राप्त हुआ, जिसे उनके द्वारा बिना देखे अपने कम्प्यूटर ऑपरेटर को forward कर दिया गया। चूंकि निविदा प्रक्रिया में शामिल होने के लिये अंतिम तिथि थी, इसलिये उनके कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा भी हड़बड़ी में इसे upload कर दिया गया। बाद में यह महसूस होने पर कि उपर्युक्त अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्य से संबंधित नहीं है, उन्होंने निगम के राजगीर कार्यालय से इसकी शिकायत की, जिस पर राजगीर प्रमण्डल द्वारा उन्हें पत्र सं0–469 दिनांक- 26.05.2023 के द्वारा कुल– 98,07,945/–रू0 का सही अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

4. संबंधित ई–निविदा सूचना सं0–20/2022–23, जो औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर में अनुमण्डलीय अग्निशाम भवन का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य के लिये है, की संचिका का अवलोकन किया गया। मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन द्वारा उपर्युक्त ई–निविदा सूचना संख्या के साथ uploaded अनुभव प्रमाण पत्र, वस्तुतः पत्रांक–575 दिनांक– 30.07.2020 है, न कि पत्रांक–575, दिनांक–30.07.2019, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा बताया गया है।

5. अतः उपर्युक्त अपील वाद में निर्णय के लिये, इस कार्यालय के पत्रांक– एच0क्यू0 1969 (अनु0) दिनांक–13.06.2024 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमण्डल से निम्नांकित जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी:–

(i) नक्सल थाना कराय परसुराय, जिला–नालंदा का अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन की ओर से पत्र, दिनांक–24.02.2023, राजगीर प्रमण्डल को प्राप्त कराया गया या नहीं? अगर हाँ, तो कब, प्राप्ति की प्रति के साथ,

(ii) ई–निविदा सूचना सं0–20/2022–23 के साथ uploaded कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमण्डल का पत्र सं0–575 दिनांक–30.07.2020, राजगीर प्रमण्डल से निर्गत है या नहीं? अगर हाँ तो क्या यह पत्र अपीलार्थी श्री आशिष कुमार सिन्हा को WhatsApp से भेजा गया है?

(iii) राजगीर प्रमण्डल का पत्र सं0–469 दिनांक–26.05.2023, किस पत्र के संदर्भ में निर्गत किया गया है? क्या यह मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन का उपर्युक्त पत्र, दिनांक– 24.02.2023 के प्रसंग में है?

6. निगम मुख्यालय के उपर्युक्त कंडिका–5 के पत्र के प्रसंग में कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमण्डल को पत्रांक–490(अनु0) दिनांक–20.06.2024 प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा उपर्युक्त कंडिका–5 के क्रम सं0–(i), (ii) एवं (iii) के संबंध में क्रमशः प्रतिवेदित किया गया है कि

- चामुण्डा कंस्ट्रक्शन की ओर से पत्र, दिनांक–24.02.2023 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं कराया गया है।
- कंडिका में वर्णित अनुभव प्रमाण पत्र राजगीर प्रमण्डल के पत्रांक–575 दिनांक– 30.07.2020 द्वारा निर्गत नहीं है। अपितु विषयांकित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रमण्डल के पत्रांक–575 दिनांक–30.07.2019 द्वारा निर्गत है।

- मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन के पत्रांक–318/STI दिनांक–19.05.2023 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–469 दिनांक–26.05.2023 द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में नहीं है।

7. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में कहा गया है कि उनके स्पष्टीकरण पर विचार किये बिना मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश, ज्ञापांक–एच0क्यू0 4046 दिनांक–02.11.2023 से उनके निबंधन को 02 वर्षों के लिये निलंबित कर दिया गया।

8. अपीलकर्ता मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन के निबंधन से संबंधित संचिका सं0–Reg 1/1031 का अवलोकन किया। संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुख्य अभियंता के पत्रांक–2677 दिनांक–01.08.2023 के प्रसंग में मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन का उपर्युक्त संचिका के पृ0 65–57/प0 पर रक्षित जवाब, निगम में दिनांक–05.08.2023 को प्राप्त है, जिसे मुख्य अभियंता के द्वारा OSW को उसी दिन mark भी किया गया है, परन्तु मुख्य अभियंता के द्वारा आदेश, ज्ञापांक–एच0क्यू0 4046 दिनांक–02.11.2023 में इसका उल्लेख न कर पूर्व के स्पष्टीकरण दिनांक–10.07.2023 में अपीलकर्ता का हस्ताक्षर नहीं होने का उल्लेख तथा इसे स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने का उल्लेख करते हुये, मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन के निबंधन सं0–तृतीय 37/2016–17, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (जो वस्तुतः निबंधन सं0–प्रथम 17/2020–21, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम है), को आदेश निर्गत की तिथि से 02 वर्षों के लिये निलंबित कर दिया गया। पुनः कारण पृच्छा किये बगैर मुख्य अभियंता के कार्यालय आदेश–130/2024 सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 1360 दिनांक–24.04.2024 के द्वारा SBD के प्रावधानों के तहत मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन को 05 वर्षों के लिये आगामी सभी निविदाओं में भाग लेने से वंचित/कालीकृत किया गया है। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा उपर्युक्त दोनों आदेश निर्गत करने से पूर्व विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

9. अतः मुख्य अभियंता के पत्रांक–2677 दिनांक–01.08.2023 के प्रसंग में मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन का जवाब, जो निगम में दिनांक–05.08.2023 को प्राप्त हुआ है, एवं इस मामले से संबंधित अन्य तथ्यों पर विचारोपरान्त मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन का निबंधन सं0–प्रथम 17/2020–21, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के प्रथम आदेश (ज्ञापांक–4046 दिनांक–02.11.2023) की तिथि से 01 वर्ष के लिये कालीकृत किया जाता है। निबंधन पदाधिकारी का उपर्युक्त दोनों आदेश तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

अपील अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– श्री आशिष कुमार सिन्हा, प्रो0 मे0 चामुण्डा कंस्ट्रक्शन, पता–ग्राम–सिमरा, पो0+थाना–डुमरा, जिला–सितामढ़ी, पिन–843301 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदशेक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं अधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ....H.Q.8-345.... ./ पटना, दिनांक – ....4/7/....2024

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/7/24

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम